[2022] 2 एस. सी. आर 501

एम. नागेश्वर रेड्डी

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 72-73)

07 मार्च, 2022

[न्यायमूर्तिगण एम**.** आर**.** शाह और बी**.** वी**.** नागरत्ना**]**

अपीलःबरी किए जाने के खिलाफ अपील-तत्काल मामले में, एस. एस. के तहत अपराधों के लिए ग्यारह अभियुक्तों पर एक साथ मुकदमा चलाया गया था।147,148, 324, 326, 307, 427 और 303 आर/डब्ल्यूएस।149 आई. पी. सी.- विचारण न्यायालय ने दोषी ठहराए गए आरोपी नं.1 3 यू/एस. एस.।148 और आई. पी. सी. की धारा 303 और अभियुक्त नं.4 11-उच्च न्यायालय ने अभियुक्त नं.1 3 तक पहुँचाया और अभियुक्त नं.4 11 को-राज्य और शिकायतकर्ता ने बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर की-आयोजितःअभियुक्त के संबंध में सं।1 3 तक, उनकी पहचान पीडब्लू1, पीडब्लू3 और पीडब्लू6 द्वारा की गई-वे मुख्य हमलावर थे-चश्मदीद गवाहों और घायल चश्मदीद गवाहों के अभिसाक्ष्यों ने कोई बड़ा/भौतिक विरोधाभास नहीं दिखाया-केवल इसलिए कि गवाह मृतक के रिश्तेदार थे, उनके साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता है-प्राथमिकी दर्ज करने में 7 घंटे की देरी अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं थी-यहां तक कि Cr.P.C के प्रावधानों के अनुसार 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी भी भेजी गई थी।-पीडब्लू6 एक घायल चश्मदीद गवाह था और उसकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता था और एक घायल चश्मदीद गवाह होने के नाते, उसका अभिसाक्ष्य विश्वसनीय था-उच्च न्यायालय ने आरोपी नं.1 3-अभियुक्त सं।4 11 तक, उनके बरी होने के संबंध में दर्ज किए गए निष्कर्ष अभिलेख पर साक्ष्य के मूल्यांकन पर थे और अभियुक्त संख्या 4 से 11 को बरी करने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि/पुष्टि की गई थी, एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण था-अभियुक्त संख्या 1 से 3 और अभियुक्त संख्या 4 से 11 के लिए जिम्मेदार भूमिकाएं अलग-अलग थीं-इसलिए, अभियुक्त संख्या 4 से 11 का मामला अभियुक्त संख्या 1 से 3 के मामले के साथ तुलनीय नहीं था-अभियुक्त संख्या 4 से 11 के खिलाफ बरी होने के समवर्ती निष्कर्षों के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया था।44 11 तक।

अभियुक्त एन**.** ओ**.** एस**.** के बरी किए जाने के विरुद्ध अपीलों को अनुमति देना। **1** से **3** तक और अभियुक्तों को बरी किए जाने के विरुद्ध अपीलों को खारिज करना।**4 11,** न्यायालय

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने पांच महत्वपूर्ण और प्रासंगिक गवाहों**-**पीडब्लू**1,** पीडब्लू**3,** पीडब्लू**5,** पीडब्लू**6** ए**-**से पूछताछ की।

& पीडब्लू**7,** जिनमें से पीडब्लू**1,** पीडब्लू**3** और पीडब्लू**5** चश्मदीद गवाह थे और पीडब्लू**6** और पीडब्लू**7** घायल चश्मदीद गवाह थे।अभियुक्त संख्या **1** से **3** की पहचान पीडब्लू**1,** पीडब्लू**3** और पीडब्लू**6** द्वारा की गई थी।हालाँकि**,** विद्वत विचारण न्यायालय ने पीडब्लू**5** पर अविश्वास विद्वान है**,** उच्च न्यायालय ने पीडब्लू**5** के साक्ष्य**/**बयान पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की है और**/**या फिर से सराहना नहीं की है**,** जो कि पहले अपीलीय न्यायालय के रूप में**,** उच्च न्यायालय के लिए आवश्यक था।संबंधित गवाहों**-**चश्मदीद गवाहों**/**घायल चश्मदीद गवाहों के अभिसाक्ष्य को देखने के बाद**,** इस न्यायालय की राय है कि चश्मदीद गवाहों और घायल चश्मदीद गवाहों के अभिसाक्ष्य में कोई बड़ा**/**भौतिक विरोधाभास नहीं है।जहाँ तक अभियुक्त संख्या **1** से **3** का संबंध है**,** सभी सुसंगत हैं।उच्च न्यायालय ने कहा है कि पीडब्लू**1,** पीडब्लू**3** और पीडब्लू**5** को केवल इस आधार पर गवाह बनाया गया था कि वे सभी इच्छुक गवाह थे जो मृतक के रिश्तेदार थे।केवल इसलिए कि गवाह मृतक के रिश्तेदार थे**,** उनके साक्ष्य को केवल उपरोक्त आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।इसलिए**,** मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में**,** उच्च न्यायालय ने पीडब्लू**1,** पीडब्लू**3,** पीडब्लू**5** और पीडब्लू**6** और यहां तक कि पीडब्लू**7** के बयान**/**साक्ष्य को खारिज करने में भौतिक रूप से गलती की है।**[**पारस **9,10] [510-**डी**-**एच**]**

2. उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक अन्य कारण यह है कि उस समय प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी जैसा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया था**,** लेकिन इसे घटना के कई घंटों बाद दर्ज किया गया था और मजिस्ट्रेट को अस्पष्टीकृत देरी के साथ भेजा गया था और उच्च न्यायालय के अनुसार**,** इससे पुलिस को पीडब्लू**1** के पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद आरोपी को गलत तरीके से फंसाने में मदद मिली।हालांकि**,** सात घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार**,** यह तुरंत दर्ज किया गया था।घटना के समय का अंतर्वेशन**,** सुबह **0:30** बजे से **9** बजे तक**:30** अपराह्न**,** इसकी व्याख्या नहीं की जा सकी क्योंकि इसे निचली न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था।संबंधित गवाहों से इस पर कोई सवाल नहीं पूछा गया था।अन्यथा भी**,** मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में**,** सात घंटे की देरी को अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं कहा जा सकता है।यहां तक कि **Cr.P.C** के प्रावधानों के तहत आवश्यक **24** घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी भी भेज दी गई थी। **[**पैरा **11] [511-**बी**-**डी**]**

3. उच्च न्यायालय ने अनावश्यक रूप से कुछ मामूली विरोधाभासों को महत्व दिया है। विरोधाभास**,** यदि कोई हैं**,** तो भौतिक विरोधाभास नहीं हैं जो समग्र रूप से अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित कर सकते हैं।पीडब्लू**6** एक घायल चश्मदीद गवाह था और इसलिए उसकी उपस्थिति पर संदेह नहीं होना चाहिए था और एक घायल चश्मदीद होने के नाते**,** इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के आधार पर निर्धारित कानून के तय किए गए प्रस्ताव के अनुसार**,** उसके अभिसाक्ष्य की अधिक विश्वसनीयता और विश्वसनीयता है।उच्च न्यायालय ने आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **148** और **302** के तहत अपराधों के लिए अभियुक्त संख्या **1** से **3** को दोषी ठहराते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को उलटने में गंभीर त्रुटि

की है और उच्च न्यायालय ने अभियुक्त संख्या **1** से **3** को बरी करने में गलती की है।**[**पारस **12,14] [511-**ई**-**एफ**; 512-**ए**-**बी**]**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 72-73।

2011 के आपराधिक अपील Nos.611 और 659 में तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 21.02.2018 से।

के साथ

2022 की आपराधिक अपील संख्या 74।

ए. सिराजुद्दीन, वरिष्ठ अधिवक्ता, संजीव कुमार, महफूज अहसान नाज़की, पोलांकी गौतम, शेख मोहम्मद हनीफ, टी. विजय भास्कर रेड्डी, के. वी. गिरीश चौधरी, सुश्री राजेश्वरी मुखर्जी, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

गुंटूर प्रभाकर, डी. रामकृष्ण रेड्डी, श्रीमती डी. भारती रेड्डी, एम. ए. चिन्नासामी, सी. रुबावती, एम. वीरारागवन, सी. राघवेंद्रन, सी. एच. लीला सर्वेश्वर, वी. सेंथिल कुमार, पी. राजाराम, के. एथिराज, गोली रामकृष्ण, सुमंत नुकाला, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.** द्वारा दिया गया था

1. तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 611/2011 और आपराधिक अपील संख्या 659/2011 में पारित किए गए विवादित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने मूल अभियुक्त संख्या 1 से 3 (2022 की आपराधिक अपील संख्या 72 में प्रतिवादी संख्या 2 से 4) द्वारा पसंद की गई आपराधिक अपील संख्या 611/2011 को अनुमति दी है और बरी कर दिया है।

मूल अभियुक्त सं. 1 से 3 और जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने मूल शिकायतकर्ता-आपराधिक अपील सं. <ID2 में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपराधिक अपील सं. 659/2011 को खारिज कर दिया है, जिसमें विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को चुनौती दी विद्वान है जिसमें बाकी अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है, अर्थात, अभियुक्त सं. 4 से 11 तक, मूल शिकायतकर्ता ने आपराधिक अपील सं. 72-73/2022 वाली वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

1.1 मूल अभियुक्त संख्या 1 से 3 को बरी करने के उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश के खिलाफ, राज्य ने 2022 की आपराधिक अपील संख्या 74 के रूप में एक अलग अपील को भी प्राथमिकता दी है।

2. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 18.01.2007 पर लगभग 8 बजेः30 शाम को, सभी अभियुक्तों ने शिकार की दरांती से लैस एक गैरकानूनी सभा की, सूमो वाहन के पीछे से

आए और उसे गायत्री एस्टेट, कुरनूल में डॉ. कबीर क्लिनिक के पास घेर लिया, जिसमें मृतक राजशेखर रेड्डी और उनके भाई एम. नागेश्वर रेड्डी (पीडब्लू1) और अन्य समर्थक शेख अकबर बाशा (पीडब्लू3), पी. शेखर (पीडब्लू7) और एस. वेंकगामुनी (पीडब्लू8) यात्रा कर रहे थे, और एस. राजेश (पीडब्लू6) चालक थे।आरोपी नंबर 1 से 3 ने जबरन सामने की बाईं ओर का दरवाजा खोला और मृतक को यह कहकर बाहर खींच लिया कि "ई नक्कोडुकुलगन्नी नरकंदिर रा" और तुरंत उसे शिकार की दरांती से अंधाधुंध रूप से मारा, जबकि आरोपी नंबर 8 से 11 ने सूमो वाहन की कांच की खिड़कियों को शिकार की दरांती से मारा और चश्मा तोड़ दिया। अभियुक्त सं. 9 और 11 ने चालक राजेश (पीडब्लू6) पर हमला किया और उसके दाहिने कंधे, हाथ और बगल की पसलियों पर खून बहने की चोटें आईं, जबकि अभियुक्त सं. 4 से 7 ने पीडब्लू1, पीडब्लू3, पीडब्लू7 और पीडब्लू8 का पीछा किया और जब वे भाग रहे थे तो पीडब्लू7 को चोटें आईं और बाद में वे सभी भाग गए।मृतक राजशेखर रेड्डी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीडब्लू6 और पीडब्लू7 को सरकारी सामान्य अस्पताल, कुरनूल ले जाया गया। एल. डब्ल्यू. 1 (नागेश्वर रेड्डी) की रिपोर्ट पर अभियुक्त के खिलाफ उपरोक्त अपराधों के लिए 2007 का अपराध संख्या 7 होने का मामला दर्ज किया गया था।

2.1 जाँच अधिकारी ने जाँच के दौरान संबंधित व्यक्तियों-गवाहों के बयान दर्ज किए।उन्होंने चिकित्सा साक्ष्य सहित दस्तावेजी साक्ष्य भी एकत्र किए।जाँच के दौरान जाँच अधिकारी ने सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।जाँच के समापन पर, जाँच अधिकारी ने सभी ग्यारह अभियुक्तों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 147,148,324,326,307,427 और 242 के सहपठित -सहपठित आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत कुरनूल के न्यायालय में आरोप पत्र दायर विद्वान ।चूँकि मामला विशेष रूप से विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए विद्वान मजिस्ट्रेट ने जिला और सत्र न्यायाधीश न्यायालय, कुरनूल में मामला।अभियुक्त ने निर्दोष होने का अनुरोध विद्वान और इसलिए उन सभी पर विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया।

2.2 आरोप को घर लाने के लिए, अभियोजन पक्ष ने सभी सत्रह गवाहों से पूछताछ की और उपरोक्त गवाहों के माध्यम से प्रासंगिक दस्तावेजी साक्ष्य को रिकॉर्ड में लाया।अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीडब्लू1, पीडब्लू3 और पीडब्लू5 घटना के चश्मदीद गवाह थे और पीडब्लू6 और पीडब्लू7 घायल चश्मदीद गवाह थे जिन्हें घटना के दौरान चोटें आईं।

2.3 अभियोजन पक्ष और चश्मदीद गवाहों/घायल चश्मदीद गवाहों के मामले के अनुसार, सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने हमला किया।आरोपी संख्या 1 से 3 ने मृतक को बाहर निकाला और उसे शिकार करने वाली दरांती से अंधाधुंध रूप से मारा, जबकि आरोपी संख्या 8 से 11 ने सूमो वाहन की कांच की खिड़कियों को शिकार करने वाली दरांती से मारा और कांच तोड़ दिया। अभियुक्त संख्या 9 और 11 ने चालक राजेश, पीडब्लू 6 पर हमला किया और उसके दाहिने कंधे, हाथ और बगल की पसलियों पर खून बहने की चोटें आईं, जबकि अभियुक्त संख्या 4 से 7 ने पीडब्लू 1, पीडब्लू 3, पीडब्लू 7 और पीडब्लू 8 का पीछा किया, जब वे भाग रहे थे तो पीडब्लू 7 को चोटें आईं और बाद में वे भाग गए।अभियोजन पक्ष के गवाहों को बंद करने के बाद,

धारा 313 Cr.P.C के तहत अभियुक्तों के बयान दर्ज किए गए। अभियुक्त की ओर से मामला पूरी तरह से इनकार करने का था और उन्हें उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और पिछली दुश्मनी के कारण मामले में झूठा फंसाया गया था।हालाँकि, अभियुक्तों ने अपने बचाव के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया।

2.4 साक्ष्य की सराहना पर, विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्त संख्या 1 से 3 को आई. पी. सी. की धारा 148 और 302 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी ठहराया और उन्हें आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास और आई. पी. सी. की धारा 148 के तहत अपराध के लिए एक वर्ष आर. आई. की सजा विद्वान ई। हालाँकि, विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्त संख्या 4 से 11 को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया।

3. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अभियुक्त सं. 1 से 3 ने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील सं. 611/2011 को प्राथमिकता दी।शिकायतकर्ता ने शेष अभियुक्तों, अर्थात अभियुक्त संख्या 4 से 11 को बरी किए जाने के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील सं. 659/2011 को भी प्राथमिकता दी।

3.1 विवादित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने मूल अभियुक्त द्वारा पसंद की गई आपराधिक अपील संख्या 611/2011 को अनुमति दी है। सं. 1 से 3 तक और अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 302 और 148 के तहत दंडनीय अपराधों से बरी कर दिया है। उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपील संख्या 659/2011 को खारिज कर दिया है, जिसमें आरोपी संख्या 4 से 11 के बरी होने की पुष्टि की गई है।

4. अभियुक्त संख्या 1 से 3 तक को बरी करने के विवादित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल शिकायतकर्ता के साथ-साथ राज्य दोनों ने आपराधिक अपील संख्या 72/2022 और 74/2022 को प्राथमिकता दी है।मूल अभियुक्त संख्या 4 से 11 के बरी होने की पुष्टि करने वाली शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज करने के खिलाफ, शिकायतकर्ता ने आपराधिक अपील संख्या 73/2022 को भी प्राथमिकता दी है। 5.मूल शिकायतकर्ता के साथ-साथ राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त संख्या 1 से 3 को बरी करने का विवादित निर्णय और आदेश टिकाऊ नहीं है।

5.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने आरोपी संख्या 1 से 3 को बरी करने में गलती की है।

5.2 यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज करने के समय के संबंध में प्राथमिकी में कथित हस्तक्षेप को अनावश्यक रूप से महत्व दिया है। कि इस प्रकार उक्त प्रश्न न तो विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष उठाया गया था और न ही इस तरह के कथित हस्तक्षेप का कोई प्रश्न, यदि कोई हो, जांच अधिकारियों-पीडब्लू 16 और पीडब्लू 17 के

समक्ष रखा गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी विवादित फैसले और आदेश में विशेष रूप से कहा है कि यह सच है कि समय के कथित हस्तक्षेप पर ऐसा कोई सवाल जांच अधिकारियों-पीडब्लू 16 और पीडब्लू 17 से नहीं पूछा गया था।

5.3 यह जोरदार रूप से प्रस्तुत विद्वान जाता है कि उच्च न्यायालय ने पीडब्लू1 द्वारा दी गई शिकायत/प्राथमिकी पर मुख्य रूप से प्राथमिकी दर्ज करने के समय के कथित हस्तक्षेप के आधार पर और इस आधार पर संदेह विद्वान है कि प्राथमिकी दर्ज करने में सात घंटे की देरी हुई थी और प्राथमिकी 4 बजे विद्वान मजिस्ट्रेट को भेजी गई थी:30 अगली सुबह ए. एम.यह आगे प्रस्तुत विद्वान जाता है कि उच्च न्यायालय ने उचित रूप से सराहना नहीं की है और इस तथ्य पर विचार नहीं विद्वान है कि एफ. आई. आर. को कानून के तहत आवश्यक 24 घंटे की अवधि के भीतर विद्वान मजिस्ट्रेट को भेजा गया था।

5.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में एफ़. आई. आर. के अनुसार और जाँच अधिकारी के अभिसाक्ष्य के अनुसार भी एफ़. आई. आर. 9 बजे दर्ज की गई थी:30 10 बजे पुलिस स्टेशन पहुँचने से पहले 18.01.2007 पर अपराह्न:30 पी. एम. कि उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उक्त ऐसा मुद्दा जिसे विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा भी तैयार नहीं विद्वान गया था और यहां तक कि यह विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की ओर से भी मामला नहीं था।

5.5 यह तर्क दिया जाता है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने संबंधित गवाहों, विशेष रूप से पीडब्लू1, पीडब्लू3, पीडब्लू5, पीडब्लू6 और पीडब्लू7 की जांच करके आरोपी के खिलाफ मामले को साबित कर दिया है।वह पीडब्लू1 और पीडब्लू3 घटना के चश्मदीद गवाह हैं और पीडब्लू6 और पीडब्लू7 घायल चश्मदीद गवाह हैं जिनकी गवाही सुसंगत है।

5.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने पीडब्लू1 और पीडब्लू3 पर अविश्वास किया है जो पीडब्लू1 और पीडब्लू3 के दो संस्करणों के बीच कुछ मामूली विरोधाभासों पर चश्मदीद गवाह थे।हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वे अंतर्विरोध भौतिक अंतर्विरोध नहीं हैं जो अभि. साक्षी1 और अभि. साक्षी3 की विश्वसनीयता और विश्वसनीयता के बारे में संदेह पैदा कर सकते हैं। 5.7 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस आधार पर पीडब्लू1 और पीडब्लू3 की विश्वसनीयता और विश्वसनीयता पर भी संदेह किया है कि वे इच्छुक गवाह हैं।हालांकि, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि केवल इसलिए कि पीडब्लू1 मृतक का भाई है और पीडब्लू3 चालक है, यह अपने आप में उन्हें इच्छुक गवाह नहीं बना सकता है और उनके साक्ष्य को उस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।

5.8 यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में पीडब्लू5 भी एक चश्मदीद गवाह है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने पी. डब्ल्यू. 5 के साक्ष्य की इस आधार पर पुनः सराहना नहीं की है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने विद्वान है कि पी. डब्ल्यू. 5 एक चश्मदीद गवाह नहीं है, बल्कि एक स्थापित गवाह है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि उच्च न्यायालय को पहला अपीलीय

न्यायालय होने के नाते पी. डब्ल्यू. 5 के बयान/साक्ष्य सहित रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य की पुनः सराहना करने की आवश्यकता थी।

5.9 यह आगे तर्क दिया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की बिल्कुल भी सराहना नहीं की है और इस पर विचार नहीं किया है कि पीडब्लू 6 और पीडब्लू 7 घायल चश्मदीद गवाह हैं। कि उनकी चोटों को चिकित्सा साक्ष्य और पी. डब्ल्यू. 6 और पी. डब्ल्यू. 7 का इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा समर्थित किया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए पीडब्लू6 और पीडब्लू7 की विश्वसनीयता और विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था।

5.10 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि जहां तक अभियुक्त संख्या 1 से 3 अपास्त करना का संबंध है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाए।

5.11 अब जहाँ तक विद्वान विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त संख्या 4 से 11 को बरी करने का संबंध है, यह जोरदार है। प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ने घटना के समय आरोपी संख्या 4 से 11 की उपस्थिति स्थापित और साबित की है और उन्हें एक विशिष्ट भूमिका/प्रत्यक्ष कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि जब अभियुक्त संख्या 4 से 11 पर आई. पी. सी. की धारा 149 सहपठित धारा 302 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था और जब यह स्थापित हो गया है और साबित हो गया है कि उन्होंने अपराध करने में भाग लिया था और वे गैरकानूनी सभा का हिस्सा थे, तो विद्वत विचारण न्यायालय को अभियुक्त संख्या 4 से 11 को भी दोषी ठहराया जाना चाहिए था।

6. मूल अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्तमान अपीलों का जोरदार विरोध किया जाता है।

6.1 मूल अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि प्राथमिकी में अंतर्वेशन/सुधार पाया गया है और जब यह पाया गया है कि सुबह 0:30 बजे को 9 में परिवर्तित कर दिया गया है:30 शाम को और यह पता चलने पर कि विद्वान मजिस्ट्रेट को 4 बजे प्राथमिकी भी प्राप्त हुई थी:30 आई. डी. 1 पर सुबह, हालांकि पुलिस स्टेशन और मजिस्ट्रेट अदालत के बीच की दूरी मुश्किल से चार किलोमीटर है और विद्वान मजिस्ट्रेट को एफ. आई. आर. भेजने में सात घंटे की देरी हुई थी, उच्च न्यायालय ने पी. डब्ल्यू. 1 द्वारा दी गई एफ. आई. आर. को सही माना है और सही कहा है कि आरोपी को गलत तरीके से फंसाने की सभी संभावनाएं हैं।

6.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा पीडब्लू1, पीडब्लू3, पीडब्लू6 और पीडब्लू7 की विश्वसनीयता और विश्वसनीयता पर संदेह करते हुए इस तरह के ठोस कारण दिए गए हैं।कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला पीडब्लू1, पीडब्लू3, पीडब्लू5, पीडब्लू6 और पीडब्लू7 पर आधारित है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए साक्ष्य की पुनर्मूल्यांकन पर और ठोस कारण देकर, उच्च न्यायालय ने पीडब्लू1 और पीडब्लू3 (तथाकथित चश्मदीद गवाह) और पीडब्लू6 और पीडब्लू7 (तथाकथित घायल चश्मदीद गवाह) पर अविश्वास किया है।यह

प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को बरी करने और अभियुक्त संख्या 4 से 11 को बरी करने की पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

6.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, सभी अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

7. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि ग्यारह अभियुक्त थे जिन पर आई. पी. सी. की धारा 147,148,324,326,307,427 और आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत अपराधों के लिए एक सहपठित मुकदमा चलाया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने धारा ए के तहत अपराधों के लिए अभियुक्त संख्या 1 से 3 को दोषी ठहराया।

148 & 302 आई. पी. सी. ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।हालाँकि, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त संख्या 4 से 11 को बरी कर दिया।अभियुक्त की दोषसिद्धि को उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश द्वारा उलट दिया गया है और यहां तक कि अभियुक्त संख्या 1 से 3 तक को उन अपराधों के लिए बरी कर दिया गया है जिनके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था।उच्च न्यायालय ने अभियुक्त संख्या 4 से 11 के बरी होने की पुष्टि/पुष्टि की है। 7.1.यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि जहां तक राज्य का संबंध है, राज्य ने 2022 की आपराधिक अपील संख्या 74 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित अभियुक्त संख्या 1 से 3 को बरी करने के विवादित फैसले और आदेश को चुनौती देने वाली वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है और यह मूल शिकायतकर्ता है जिसने 2022 की आपराधिक अपील संख्या 72 और 73 को प्राथमिकता दी है, जिसमें दोषसिद्धि को उलटने और अभियुक्त संख्या 1 से 3 को बरी करने के साथ-साथ उसकी अपील को खारिज करने को चुनौती दी विद्वान है जो अभियुक्त को बरी करने वाले विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ थी।

8. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभियुक्त को बरी करने वाले विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा 11 को पारित निर्णय और आदेश को देखने के बाद, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि/पुष्टि की गई है और अभियुक्त संख्या 4 से 11 को बरी करने को चुनौती देने वाली शिकायतकर्ता द्वारा की गई अपील का संबंध है, दोनों, विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त संख्या 4 से 11 को दोषी नहीं ठहराते हुए समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं।अभियुक्त संख्या 4 से 11 के बरी होने के संबंध में दर्ज किए गए निष्कर्ष अभिलेख पर साक्ष्य और अभियुक्त संख्या 4 से 11 को बरी करने वाले विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की सराहना पर हैं, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि/पुष्टि की विद्वान है, एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण है और इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।तदनुसार, अभियुक्त संख्या 4 से 11 के बरी होने के खिलाफ मूल शिकायतकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपील संख्या 73/2022 को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

9. जहां तक मूल शिकायतकर्ता द्वारा विद्वान आपराधिक अपील सं. 72/2022 और राज्य द्वारा विद्वान आपराधिक अपील सं. <आई. डी. 2 को उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त सं. 1 से

3 को बरी करने के विवादित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए, विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा को उलटने का संबंध है, उच्च न्यायालय ने आरोपी सं. 1 से 3 को बरी करते हुए, चर्चा का सारांश इस प्रकार दिया हैः

"(i) उस समय प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा दावा किया गया था, लेकिन इसे घटना के कई घंटों बाद दर्ज किया गया था और अस्पष्टीकृत देरी के साथ मजिस्ट्रेट को भेजा गया था, जिससे पुलिस को आरोपी को गलत तरीके से फंसाने में मदद मिली, जाहिर है जब पीडब्लू1 पुलिस स्टेशन में आया था।

(ii) पीडब्लू 1,3,5 और 8 गवाह लगाए गए थे; (iii) पीडब्लू 6 और 7 हमलावरों की पहचान नहीं कर सके;

((iv) अभियुक्त, प्रतिद्वंद्वी गुट के सदस्य होने के नाते, स्वाभाविक संदिग्ध थे और तदनुसार, उन्हें बिना किसी स्पष्ट सबूत के केवल संदेह के आधार पर फंसाया गया है।

(v) नीचे का न्यायालय उपरोक्त पहलुओं को समझने में पूरी तरह से विफल रहा है और गलती से आरोपी एन. ओ. एस. को दोषी ठहराया है। 1 से 3, अभियुक्त संख्या 4 से 11 को बरी करते हुए; और

(vi) हमारी राय में, वही तर्क, जिसे नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा अभियुक्त संख्या 4 से 11 को बरी करने के लिए अपनाया गया था, अभियुक्त संख्या 1 से 3 पर समान रूप से लागू होता है।"

हालांकि, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने पांच महत्वपूर्ण और प्रासंगिक गवाहों-पीडब्लू1, पीडब्लू3, पीडब्लू5, पीडब्लू6 और पीडब्लू7 की जांच की, जिनमें से पीडब्लू1, पीडब्लू3 और पीडब्लू5 चश्मदीद गवाह थे और पीडब्लू6 और पीडब्लू7 घायल चश्मदीद गवाह थे।अभियुक्त संख्या 1 से 3 की पहचान पीडब्लू1, पीडब्लू3 और पीडब्लू6 द्वारा की गई थी।हालाँकि, विद्वत विचारण न्यायालय ने पीडब्लू5 पर अविश्वास विद्वान है, उच्च न्यायालय ने पीडब्लू5 के साक्ष्य/बयान पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की है और/या फिर से सराहना नहीं की है, जो कि पहले अपीलीय न्यायालय के रूप में, उच्च न्यायालय के लिए आवश्यक था।

10. संबंधित गवाहों-चश्मदीद गवाहों/घायल चश्मदीद गवाहों के अभिसाक्ष्य को देखने के बाद, हमारी राय है कि चश्मदीद गवाहों और घायल चश्मदीद गवाहों के अभिसाक्ष्य में कोई बड़ा/भौतिक विरोधाभास नहीं है।जहाँ तक अभियुक्त संख्या 1 से 3 का संबंध है, सभी सुसंगत हैं।जैसा कि ऊपर देखा गया है, पीडब्लू6 ने अभियुक्त संख्या 1 से 3 की पहचान की है।उच्च न्यायालय ने कहा है कि पीडब्लू1, पीडब्लू3 और पीडब्लू5 को केवल इस आधार पर गवाह बनाया गया था कि वे सभी इच्छुक गवाह थे जो मृतक के रिश्तेदार थे।केवल इसलिए कि गवाह मृतक के रिश्तेदार थे, उनके साक्ष्य को केवल उपरोक्त आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने पीडब्लू1, पीडब्लू3,

पीडब्लू5 और पीडब्लू6 और यहां तक कि पीडब्लू7 के बयान/साक्ष्य को खारिज करने में भौतिक रूप से गलती की है।

10.1 यह सच है कि पीडब्लू7 हमलावरों की पहचान नहीं कर सका।हालाँकि, अभियोजन पक्ष पीडब्लू 7 के बयान/साक्ष्य और घटना के तरीके से घटना को साबित करने में सक्षम रहा है।11. उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक अन्य कारण यह है कि उस समय प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी जैसा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया था, लेकिन इसे घटना के कई घंटों बाद दर्ज किया गया था और मजिस्ट्रेट को अस्पष्टीकृत देरी के साथ भेजा गया था और उच्च न्यायालय के अनुसार, इससे पुलिस को पीडब्लू1 के पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद आरोपी को गलत तरीके से फंसाने में मदद मिली।हालांकि, सात घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई।अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह तुरंत दर्ज किया गया था।घटना के समय का अंतर्वेशन, सुबह 0:30 बजे से 9 बजे तकः30 अपराह्न, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकी क्योंकि इसे निचली न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था।संबंधित गवाहों से इस पर कोई सवाल नहीं पूछा गया था।अन्यथा भी, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, सात घंटे की देरी को अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं कहा जा सकता है।यहां तक कि प्राथमिकी 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट को भेजी गई थी, जैसा कि Cr.P.C के प्रावधानों के तहत आवश्यक है। पीडब्लू 1,3 और 6 सभी अपनी गवाही में सुसंगत हैं और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है।हम उनकी उपस्थिति और उनके अभिसाक्ष्य पर संदेह करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

12. उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क को देखने के बाद, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने अनावश्यक रूप से कुछ मामूली विरोधाभासों को महत्व दिया है।विरोधाभास, यदि कोई हो, भौतिक विरोधाभास नहीं हैं जो समग्र रूप से अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित कर सकते हैं।पीडब्लू6 एक घायल चश्मदीद गवाह था और इसलिए उसकी उपस्थिति पर संदेह नहीं होना चाहिए था और एक घायल चश्मदीद होने के नाते, इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के आधार पर निर्धारित कानून के तय किए गए प्रस्ताव के अनुसार, उसके अभिसाक्ष्य की अधिक विश्वसनीयता और विश्वसनीयता है।

13. अब जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निष्कर्ष में अभिलिखित निष्कर्ष का संबंध है कि अभियुक्त संख्या 4 से 11 को बरी करने के लिए निम्न न्यायालय द्वारा अपनाया गया वही तर्क अभियुक्त संख्या 1 से 3 पर भी समान रूप से लागू होगा, यह ध्यान देने योग्य है कि अभियुक्त संख्या 1 से 3 और अभियुक्त संख्या 4 से 11 की भूमिकाएँ अलग-अलग हैं।अभियुक्त संख्या 1 से 3 मुख्य हमलावर हैं।उनकी पहचान चश्मदीद गवाहों/घायल चश्मदीद गवाहों द्वारा की जाती है।अभियुक्त संख्या 1 से 3 के स्पष्ट कार्य अभियुक्त संख्या 4 से 11 के कृत्यों से भिन्न हैं। इसलिए, अभियुक्त संख्या 4 से 11 का मामला अभियुक्त संख्या 1 से 3 के मामले के साथ तुलनीय नहीं है।

14. उपरोक्त चर्चा और ऊपर बताए विद्वान कारणों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 148 और 302 के तहत अपराधों के लिए अभियुक्त संख्या 1 से 3

को दोषी ठहराते हुए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को उलटने में गंभीर त्रुटि की है और उच्च न्यायालय ने अभियुक्त संख्या 1 से 3 को बरी करने में गलती की है। इसलिए, जहां तक अभियुक्त संख्या 1 से 3 अपास्त करना का संबंध है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द विद्वान जाना चाहिए और खारिज विद्वान जाना चाहिए और आई. पी. सी. की धारा 148 और 302 के तहत अपराधों के लिए अभियुक्त संख्या 1 से 3 को दोषी ठहराते हुए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश और उन्हें आजीवन कारावास की सजा को बहाल विद्वान जाना चाहिए।

15. तदनुसार, मूल शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपराधिक अपील सं. 72/2022 और राज्य द्वारा पसंद की गई आपराधिक अपील सं. 74/2022, अभियुक्त सं. 1 से 3 अपास्त करना के विवादित निर्णय और आदेश को चुनौती देती है और जहां तक अभियुक्त सं. 1 से 3 को आई. पी. सी. की धारा 148 और 302 के तहत अपराधों के लिए बरी करने का संबंध है, विवादित निर्णय और दिनांकित आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।आई. पी. सी. की धारा 148 और 302 के तहत अपराधों के लिए अभियुक्त संख्या 1 से 3 को दोषी ठहराने और उन्हें आजीवन कारावास की सजा देने वाले विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को एतद्द्वारा बहाल विद्वान जाता है।अभियुक्त संख्या 1 से 3, अर्थात् कासिरेड्डी रामकृष्ण रेड्डी, पुत्र वेंकट रेड्डी, कासिरेड्डी रामभुपाल रेड्डी, पुत्र कासिरेड्डी पुल्ला रेड्डी और कासिरेड्डी वेंकटेश्वर रेड्डी, पुत्र शंकरानंद रेड्डी को आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर शेष सजा काटने के लिए आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।जहां तक अभियुक्त सं. 4 से 11 के बरी किए जाने को चुनौती देने वाली मूल शिकायतकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपील सं. 73/2022 का संबंध है, जैसा कि ऊपर देखा गया है, वही ऊपर बताए गए कारणों से खारिज कर दिया गया है।

देविका गुजराल

अपीलों का निपटारा किया गया।